

नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र

श्री ए बिपिन मेनन, विकास आयुक्त नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र की अध्यक्षता में 02.11.2023 को सुबह 11:00 बजे नोएडा, ग्रेटर नोएडा और खुर्जा में स्थित निजी विशेष आर्थिक क्षेत्र के संबंध में अनुमोदन समिति की बैठक का विवरण।

बैठक में अनुमोदन समिति के निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया:-

- i. श्री सुरेंद्र मलिक, संयुक्त विकास आयुक्त, नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र।
- ii. श्री चमन लाल, सहायक वि. व्या. म, कार्यालय वि. व्या. म, सीएलए, नई दिल्ली।
- iii. श्री श्री मयंक, सहायक प्रबंधक, डीआईसी, नोएडा
- iv. श्री विशंभर झा, आयकर अधिकारी, नोएडा।

इसके अलावा, बैठक के दौरान (i) श्री राजेश कुमार, उप विकास आयुक्त, (ii) श्री अमित गुप्ता, निर्दिष्ट अधिकारी, (iii) श्री प्रकाश चंद उपाध्याय, सहायक विकास आयुक्त, (iv) श्री प्रमोद कुमार, सहायक विकास आयुक्त और; (v) श्री अनुज दीक्षित, उच्च श्रेणी लिपिक, और अनुमोदन समिति की सहायता के लिए भी उपस्थित थे। बताया गया कि गणपूर्ति उपलब्ध है और बैठक आगे बढ़ सकती है।

प्रारंभ में अध्यक्ष ने प्रतिभागियों का स्वागत किया। संक्षिप्त परिचय के बाद कार्यसूची में शामिल प्रत्येक मुद्दे पर अनुक्रमिक विचार किया गया। अनुमोदन समिति के सदस्यों के बीच विस्तृत विचार-विमर्श के साथ-साथ आवेदकों/ विकासक/इकाइयों के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत के बाद, जहां भी आवश्यक हो, निम्नलिखित निर्णय सर्वसम्मति से लिए गए:-

मद संख्या 1 दिनांक 05.10.2023 को आयोजित अनुमोदन समिति की बैठक के कार्यवृत्त का अनुसर्थन:-

चूंकि 05.10.2023 को आयोजित अनुमोदन समिति के निर्णयों के संबंध में अनुमोदन समिति या व्यापार के किसी भी सदस्य से कोई संदर्भ प्राप्त नहीं हुआ था, इसलिए, 05.10.2023 को आयोजित बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की गई।

मद संख्या 2: अधिकृत संचालन के लिए सामग्रियों की सूची के अनुमोदन के लिए प्रस्ताव:-

2.1: मेसर्स कॉफोर्ज लिमिटेड, विकासक

2.1.1 अनुमोदन समिति ने प्रस्ताव पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद प्लॉट नंबर टीजेड -02 और 2 ए, सेक्टर-टेकज़ोन, ग्रेटर नोएडा (उत्तर प्रदेश) में अपने आईटी / आईटीईएस में निम्नलिखित अधिकृत संचालन करने के लिए मेसर्स कॉफोर्ज लिमिटेड, विकासक द्वारा प्रस्तावित सामग्रियों की प्रस्तावित सूची को मंजूरी दे दी: -

क्र.सं.	अधिकृत संचालन	निर्देश संख्या 50 और 54 के अनुसार अधिकृत संचालन की डिफॉल्ट सूची में क्रम संख्या	अनुमानित लागत (रुपये लाख में)
i.	इकाई अनुमोदन समिति द्वारा अनुमोदित प्रसंस्करण क्षेत्र में सभी प्रकार के भवनों का निर्माण।	22	58.82
		कुल	58.82

2.1.2 अनुमोदन इस शर्त के अधीन है कि निर्दिष्ट अधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि आयात के लिए 'प्रतिबंधित/निषिद्ध' उत्पादों की खरीद की अनुमति नहीं दी जाएगी।

सुरेंद्र मलिक

2.2: मेसर्स एचसीएल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, विकासक

2.2.1 मेसर्स एचसीएल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के सहयोगी निदेशक श्री डी.के. शर्मा और सहयोगी निदेशक श्री विनोद कुमार सिंह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में शामिल हुए और प्रस्तावित सामग्रियों की आवश्यकता के बारे में बताया।

2.2.2 अनुमोदन समिति ने प्रस्ताव पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद मेसर्स एचसीएल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, विकासक द्वारा प्लॉट नंबर 3 ए, 3 बी और 2 सी, सेक्टर-126, नोएडा (उत्तर प्रदेश) में अपने आईटी/आईटीईएस में निम्नलिखित अधिकृत संचालन करने के लिए प्रस्तावित सामग्रियों की प्रस्तावित सूची को मंजूरी दे दी: -

क्र.सं.	अधिकृत संचालन	निर्देश संख्या 50 और 54 के अनुसार अधिकृत संचालन की डिफॉल्ट सूची में क्रम संख्या	अनुमानित लागत (रुपये लाख में)
I.	सड़क पर स्ट्रीट लाइटिंग, सिग्नल और संकेत।	01	13.50
II.	छिड़काव, आग और धुआं संसूचक के साथ अग्नि सुरक्षा प्रणाली।	07	145.92
III.	प्रसंस्करण क्षेत्र का वातानुकूलन	21	507.18
IV.	बिजली (पावर बैकअप सुविधाओं सहित) केवल बंदी उपयोग के लिए।	23	339.98
V.	इकाई अनुमोदन समिति द्वारा अनुमोदित प्रसंस्करण क्षेत्र में सभी प्रकार के भवनों का निर्माण।	22	390.74
VI.	जल उपचार संयंत्र, जल आपूर्ति लाइनें (स्रोत तक समर्पित लाइनें), सीवेज लाइनें, तूफान जल नालियां और उचित क्षमता के जल चैनल।	02	97.76
VII.	इंटरनेट कनेक्टिविटी सहित दूरसंचार और अन्य संचार सुविधाएं।	05	689.29
VIII.	अभिगम नियन्त्रण और निगरानी प्रणाली।	24	196.72
		कुल	2381.09

2.2.3 अनुमोदन इस शर्त के अधीन है कि निर्दिष्ट अधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि आयात के लिए 'प्रतिबंधित/निषिद्ध' उत्पादों की खरीद की अनुमति नहीं दी जाएगी।

2.3: मेसर्स अर्शिया नॉर्दर्न एफटीडब्ल्यूजेड लिमिटेड, विकासक

2.3.1 मेसर्स अर्शिया नॉर्दर्न एफटीडब्ल्यूजेड लिमिटेड, ग्राम इब्राहिमपुर, जुनैदपुर उर्फ मौजपुर, बुलंदशहर (यूपी) में बहु क्षेत्र विशेष आर्थिक क्षेत्र के विकासक ने अपने विशेष आर्थिक क्षेत्र में डिफॉल्ट अधिकृत संचालन के लिए सामग्रियों की सूची के अनुमोदन के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया है: -

सुरेंद्र मालिक

क्र.सं.	अधिकृत संचालन	निर्देश संख्या 50 और 54 के अनुसार अधिकृत संचालन की डिफ़ॉल्ट सूची में क्रम संख्या	अनुमानित लागत (रुपये लाख में)
i.	इकाई अनुमोदन समिति द्वारा अनुमोदित प्रसंस्करण क्षेत्र में सभी प्रकार के भवनों का निर्माण।	22	5.29
ii.	विद्युत, गैस और पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क जिसमें उपयुक्त क्षमता के आवश्यक उप-स्टेशनों, पाइपलाइन संजाल आदि शामिल हैं।	04	116.79
कुल			122.06

2.3.2 विकासक ने विकास आयुक्त, नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र को संबोधित अर्शिया नॉर्दर्न एफटीडब्ल्यूजेड लिमिटेड के इनसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोफेशनल (आईआरपी) श्री भुवन मदान के शून्य दिनांकित पत्र की एक प्रति भी जमा की है। श्री भुवन मदान, आईआरपी ने विशेष आर्थिक क्षेत्र नियम, 2006 के अनुसार डीटीए आपूर्तिकर्ता से मेसर्स अर्शिया नॉर्दर्न एफटीडब्ल्यूजेड लिमिटेड द्वारा वस्तुओं और सेवाओं की खरीद के लिए अपनी अनापत्ति दे दी है। सभी सामग्री का उपयोग मौजूदा संपत्तियों की सुरक्षा और व्यवसाय को चालू रखने के लिए किया जाता है।

2.3.3 श्री अमिताभ चौधरी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी और श्री रोशल लाल, मेसर्स अर्शिया नॉर्दर्न एफटीडब्ल्यूजेड लिमिटेड के वरिष्ठ प्रबंधक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में शामिल हुए और प्रस्तावित सामग्रियों की आवश्यकता के बारे में बताया। बकाया लागत प्राप्ति शुल्क के भुगतान के संबंध में, प्रतिनिधियों ने बताया कि उन्होंने आईआरपी से भुगतान जारी करने/ नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र द्वारा वांछित भुगतान अनुसूची प्रदान करने का अनुरोध किया है। इस संदर्भ में बताया गया कि आईआरपी जल्द ही इस कार्यालय को पत्र लिखेगी।

2.3.4 अनुमोदन समिति ने प्रस्ताव पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद मेसर्स अर्शिया इंटरनेशनल लिमिटेड, विकासक का एफटीडब्ल्यूजेड के ग्राम साई, तालुका-पनवेल, जिला रायगढ़, महाराष्ट्र के संबंध में किसी भी दिवालिया कार्यवाही की स्थिति और विकास आयुक्त कार्यालय द्वारा की गई किसी भी कार्रवाई की जांच करने के लिए कार्यालय विकास आयुक्त, सीप्प विशेष आर्थिक क्षेत्र को एक पत्र लिखने का निर्देश दिया। समिति ने आईआरपी से जवाब प्राप्त होने के बाद फाइल पर मामले में निर्णय लेने के लिए विकास आयुक्त, नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र कार्यालय को अधिकार दिया।

मद संख्या 3: इकाई के क्षेत्र के विस्तार के लिए प्रस्ताव:-

3.1 मैसर्स एचसीएल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड (इकाई-XII)

3.1.1 मैसर्स एचसीएल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड (इकाई-XII) ने कैफे 3 की दूसरी मंजिल पर 5090.67 वर्ग मीटर क्षेत्र को जोड़कर और नीचे दिए गए विवरण के अनुसार, एचसीएल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड आईटी/आईटीईएस विशेष आर्थिक क्षेत्र, प्लॉट नंबर 3ए, 3बी और 2सी, सेक्टर-126, नोएडा (उत्तर प्रदेश) अपनी इकाई के अनुमानों में संशोधन करके क्षेत्र के विस्तार के लिए एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है:-

(रुपये लाख में)

विवरण	मौजूदा अनुमोदित अनुमान	प्रस्तावित संशोधित अनुमान
निर्यात का अनुमानित एफओबी मूल्य	133461.74	413635.85
विदेशी मुद्रा निकासी	2254.76	4359.30
एनएफई आय	131206.71	139276.54

सुरेंद्र मलिक

विवरण	मौजूदा अनुमोदित अनुमान	प्रस्तावित संशोधित अनुमान
आयातित पूँजीगत सामान	2919.57	3692.30
स्वदेशी पूँजीगत सामान	2603.78	2934.52
आयातित इनपुट सेवाएँ	435.19	667.01
स्वदेशी इनपुट सेवाएं	20604.29	20703.51

3.1.2 मेसर्स एचसीएल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के सहयोगी निदेशक श्री डी.के. शर्मा और सहयोगी निदेशक श्री विनोद कुमार सिंह अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित हुए और प्रस्ताव के बारे में बताया। समिति द्वारा पूछे जाने पर प्रतिनिधियों ने बताया कि 'कैफे 3' में प्रस्तावित अतिरिक्त स्थान की भवन योजना 'कैफेटेरिया भवन' के रूप में स्वीकृत है। प्रतिनिधि ने बताया कि प्रस्तावित अतिरिक्त क्षेत्र में उन्हें अपने ग्राहकों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए अतिरिक्त कर्मचारियों को समायोजित करने की आवश्यकता है। उन्होंने समिति से इस शर्त के साथ प्रस्ताव को मंजूरी देने का अनुरोध किया कि वे उक्त 'कैफे 3' भवन की योजना में संशोधन कराएंगे।

3.1.3 अनुमोदन समिति ने प्रस्ताव पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद सैद्धांतिक मंजूरी दे दी। यह मंजूरी इस शर्त के अधीन है कि इकाई द्वारा आईटी/आईटीईएस गतिविधियां शुरू करने के लिए उक्त 'कैफे 3' भवन की संशोधित भवन योजना की मंजूरी मिलने के बाद ही औपचारिक मंजूरी जारी की जाएगी।

मद संख्या 4: स्वीकृति पत्र में अतिरिक्त मदों को शामिल करने के प्रस्ताव:

4. मेसर्स अर्शिया 3पीएल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड

4.1.1 मेसर्स अर्शिया 3पीएल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड ने ग्राम-इब्राहिमपुर जुनैदपुर उर्फ मौजपुर, खुर्जा, जिला-बुलंदशहर (यूपी) में अर्शिया उत्तरी एफटीडब्ल्यूजेड लिमिटेड मुक्त व्यापार और भंडारण क्षेत्र में स्थित अपनी इकाई के स्वीकृति पत्र दिनांक 30.10.2018 में एचएस / एक्जिम कोड के साथ निम्नलिखित वस्तुओं को शामिल करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है:-

क्र.सं.	इकाई द्वारा प्रस्तावित आईटीसी(एचएस)/एक्जिम कोड	वस्तु विवरण
1.	7616	एल्युमिनियम की अन्य वस्तुएँ
	76161000	नाखून, कीलें, स्टेपल (शीर्ष 83.05 के अलावा), पेंच, बोल्ट, नट, पेंच हुक, कीलक, कॉटर, चाभी -पिन, वॉशर और इसी तरह की वस्तुएँ
	76169100	अन्य:- कपड़ा, ग्रिल, जाल और बाड़, एल्यूमीनियम तार
	76169910	एल्यूमीनियम और एल्यूमीनियम मिश्र धातु की विस्तारित धातु
	76169920	जंजीर
	76169930	बोबिन्स
	76169990	अन्य
2.	8505	विद्युत-चुम्बकीय; स्थायी चुम्बक और वस्तुएँ चुम्बकीकरण के बाद स्थायी चुम्बक बनने का इरादा रखती हैं; विद्युत-चुम्बकीय या स्थायी चुम्बक चक, दबाना और समान धारण करने वाला उपकरण; विद्युत-चुम्बकीय युग्मन, क्लच और ब्रेक; विद्युत चुम्बकीय भारोत्तोलन प्रमुख
	85051110	फेराइट कोर
	85051190	अन्य
	85051900	अन्य
	85052000	विद्युत-चुम्बकीय युग्मन, क्लच और ब्रेक
	85059000	अन्य, भागों सहित

सुरेन्द्र मलिक

4.1.2 श्री अमिताभ चौधरी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी और श्री रोशल लाल, वरिष्ठ प्रबंधक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में शामिल हुए और प्रस्ताव के बारे में बताया।

4.1.3 अनुमोदन समिति ने प्रस्ताव पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद इकाई के स्वीकृति पत्र में प्रस्तावित वस्तुओं को शामिल करने को मंजूरी दे दी।

मद संख्या 5: शेयरधारिता स्वरूप /निदेशकों में बदलाव की सूचना।

5.1.1 अनुमोदन समिति ने प्रस्ताव पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद प्लॉट नंबर टीजेड-02 और 2ए, टेकज़ोन, ग्रेटर नोएडा (उत्तर प्रदेश) और मेसर्स कोफोर्ज लिमिटेड की चार इकाइयाँ इस विशेष आर्थिक क्षेत्र में स्थित आईटी/आईटीईएस विशेष आर्थिक क्षेत्र के विकासक मेसर्स कोफोर्ज लिमिटेड के शेयरधारिता स्वरूप में निम्नलिखित बदलावों पर ध्यान दिया। हैं। यह वाणिज्य विभाग द्वारा जारी निर्देश संख्या 109 दिनांक 18.10.2021 के संदर्भ में है, जो उसमें निर्धारित नियमों और शर्तों के अनुपालन के अधीन है: -

शेयरधारकों का नाम	31.03.2023 को शेयरधारिता स्वरूप		01.09.2023 को संशोधित शेयरधारिता स्वरूप।	
	होल्ड शेयरों की संख्या	शेयर%	होल्ड शेयरों की संख्या	शेयर%
इंडिविडुअल्स, कॉर्पोरेट एंड अदर	6937875	11.36%	12987489	21.25%
एफआईआई और एफपीआई	15517213	25.40%	20938391	34.26%
फाइनेंसियल इंस्टीट्यूशन एंड म्यूचुअल फंड्स	19670823	32.20%	26436424	43.27%
ओसीबी और एनआरआई	539909	0.88%	744959	1.22%
प्रमोटर	18421260	30.16%	0	0.00%
कुल:	61087080	100.00%	61107263	100%

मद संख्या 6: विशेष आर्थिक क्षेत्र इकाई द्वारा पंजीकृत पट्टा विलेख प्रस्तुत न करना:-

6.1 मेसर्स इनादेव इंडिया प्राइवेट लिमिटेड।

6.1.1 अनुमोदन समिति को सूचित किया गया कि मेसर्स इनादेव इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, जो अर्था इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड आईटी/आईटीईएस विशेष आर्थिक क्षेत्र, प्लॉट नंबर 21, सेक्टर-टेकज़ोन IV, ग्रेटर नोएडा में स्थित है, ने स्वीकृति पत्र दिनांक 23.11.2022 जारी होने के छह महीने में स्थित अपनी इकाई के 12वीं मंजिल, टॉवर-1 के हिस्से में '2856.66 वर्ग फुट क्षेत्र' के संबंध में पंजीकृत पट्टा विलेख की प्रति जमा नहीं की है। यह विशेष आर्थिक क्षेत्र नियम, 2006 के नियम 18(2)(ii) के प्रावधान का उल्लंघन है।

6.1.2 अनुमोदन समिति ने इस मामले पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद, समिति ने विशेष आर्थिक क्षेत्र नियम, 2006 के नियम 18 (2) (ii) के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए मेसर्स इनादेव इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को कारण बताओ नोटिस निर्धारित समय सीमा के भीतर पंजीकृत पट्टा विलेख की प्रति जारी करने का निर्णय लिया। इसके अलावा, समिति ने विकास आयुक्त को कारण बताओ नोटिस जारी करने और संशोधित विदेशी व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1992 के प्रावधानों के अनुसार मामले पर निर्णय लेने का अधिकार दिया।

अनुपूरक कार्यसूची मद:

1 सुविधा प्रदाताओं को स्थान आवंटन का प्रस्ताव: -

1.1 मेसर्स सीब्यू डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, विकासक।

सुरेन्द्र मलिक

1.1.1 मेसर्स सीव्यू डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, विकासक ने सूचित किया है कि उन्होंने, निर्दिष्ट स्थान पर समय-समय पर अस्थायी संरचना/स्टॉल/कियोस्क स्थापित करने के लिए, 3 साल की अवधि के लिए बिजनेस प्रमोशनल गतिविधियों का संचालन करने के लिए मेसर्स एलन वेंचर्स, बंगलुरु, कर्नाटक के साथ दिनांक 13.09.2023 को एक समझौता किया है। यह प्लॉट नंबर 20 और 21, सेक्टर-135, नोएडा (उत्तर प्रदेश) में इसके आईटी/आईटीईएस विशेष आर्थिक क्षेत्र के सामान्य क्षेत्र में है और निम्नलिखित व्यावसायिक प्रचार गतिविधियों के लिए है।

- I. बैंकिंग वित्तीय सेवाएँ और बीमा (बीएफएसआई)
- II. दूरसंचार
- III. इमेजिंग प्रौद्योगिकी विकास केंद्र (डीसीआईटी)
- IV. आवासीय रियल एस्टेट
- V. तेजी से बढ़ते उपभोक्ता (FMCG)
- VI. ऑटोमोबाइल

1.1.2 विकासक ने सूचित किया है कि उक्त गतिविधियों का संचालन, विशेष रूप से क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए, ब्रांड प्रचार, उत्पाद प्रदर्शन, प्रायोजन, सार्वजनिक प्रदर्शन और ऐसी सहमति से अन्य गतिविधियाँ होंगी। अस्थायी संरचना/स्टॉल/कियोस्क स्थापित करने के लिए सभी सामग्री और इन गतिविधियों को करने के लिए उत्पादों को मेसर्स एलन वेंचर्स द्वारा वापसी योग्य आधार पर क्षेत्र में लाया जाएगा और क्षेत्र में किसी भी प्रकार के उत्पादों की बिक्री नहीं की जाएगी। विकासक ने उक्त गतिविधियों को चलाने के लिए अनुमति देने का अनुरोध किया है।

1.1.3 मेसर्स सीव्यू डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड के अधिकृत प्रतिनिधि श्री संजय यादव और श्री अमरीक सिंह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में शामिल हुए और प्रस्ताव के बारे में बताया। प्रतिनिधियों ने सूचित किया कि क्रम संख्या iii पर गतिविधि का नाम अनजाने में "उपभोक्ता टिकाऊ और सूचना प्रौद्योगिकी (सीडीआईटी)" के बजाय "इमेजिंग प्रौद्योगिकी विकास केंद्र (सीडीआईटी)" के रूप में उल्लेखित है। उन्होंने आगे बताया कि मेसर्स एलन वेंचर्स के साथ कोई पट्टा विलेख निष्पादित नहीं की जाएगी क्योंकि आवंटित करने के लिए कोई विशिष्ट स्थान प्रस्तावित नहीं है। ब्रांड प्रचार, उत्पाद प्रदर्शन, प्रायोजन, सार्वजनिक प्रदर्शन और ऐसी अन्य गतिविधियों के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्र के सामान्य क्षेत्र के साथ मेसर्स एलन वेंचर्स को समय-समय पर निर्दिष्ट स्थान पर केवल अस्थायी संरचना / स्टॉल / कियोस्क प्रदान किया जाएगा। इसके अलावा, मेसर्स एलन वेंचर्स संरचना/स्टॉल/कियोस्क, उत्पादों और विकासक को भुगतान किए गए शुल्क पर शुल्क और करों में किसी भी छूट का लाभ नहीं उठाएगा।

1.1.4 समिति ने पाया कि विशेष आर्थिक क्षेत्र नियम, 2006 के नियम (11) के उप नियम 5 के प्रावधान के अनुसार, विकासक, अनुमोदन समिति की पूर्व मंजूरी के साथ, सुविधाएं बनाने के लिए पट्टे के आधार पर भूमि या निर्मित स्थान दे सकता है, जैसे कि कैंटीन, सार्वजनिक टेलीफोन बूथ, प्राथमिक चिकित्सा केंद्र, क्रेच और ऐसी अन्य सुविधाएं जो इकाई के विशेष उपयोग के लिए आवश्यक हो सकती हैं।

1.1.5 अनुमोदन समिति ने प्रस्ताव पर विस्तार से चर्चा की और विशेष आर्थिक क्षेत्र के सामान्य क्षेत्र में की जाने वाली प्रस्तावित गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए और इस परिप्रेक्ष्य में कि मेसर्स एलन वेंचर्स न तो क्षेत्र में कुछ भी बेचेगी और न ही किसी कर/शुल्क छूट का लाभ उठाएगी, विशेष आर्थिक क्षेत्र में ऐसी गतिविधियाँ शुरू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। यह मंजूरी इस शर्त पर है कि विशेष आर्थिक क्षेत्र के प्रसंस्करण क्षेत्र में ऐसी गतिविधियाँ करने के लिए मेसर्स एलन वेंचर्स को कोई कर/शुल्क लाभ उपलब्ध नहीं होगा। मेसर्स एलन वेंचर्स को विशेष आर्थिक क्षेत्र परिसर में ऐसी सुविधा के संचालन के लिए, जहां भी लागू हो, संबंधित वैधानिक अधिकारियों से आवश्यक अनापत्ति प्रमाण पत्र / मंजूरी / अनुमोदित भवन योजना के अनुसार स्थान उपयोग सहित अनुपालन सुनिश्चित करेंगे। इसके अलावा, मेसर्स एलन वेंचर्स माल की आवक और जावक आवाजाही का उचित रिकॉर्ड बनाए रखेगा और आवश्यकता पड़ने पर विशेष आर्थिक क्षेत्र सीमा शुल्क के समक्ष इसे प्रस्तुत करेगा। विकासक और मेसर्स एलन वेंचर्स विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम, 2005 के प्रावधानों और समय-समय पर उसके तहत बनाए गए

सुरेन्द्र मलिक

नियमों/निर्देशों का वैधानिक अनुपालन सुनिश्चित करेंगे। यह अनुमोदन निम्नलिखित दस्तावेजों को प्रस्तुत करने के अधीन है: -

- I. मूल समझौता दिनांक 08.08.2023 को विशेष आर्थिक क्षेत्र विकासक और मेसर्स एलन वेंचर्स के बीच निष्पादित हुआ।
- II. मेसर्स एलन वेंचर्स से इस आशय का एक वचन पत्र कि वे विशेष आर्थिक क्षेत्र के प्रसंस्करण क्षेत्र में ऐसी गतिविधि करने के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्र योजना के तहत किसी भी प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष कर लाभ का दावा नहीं करेंगे। वे प्रस्तावित सुविधाओं के शुरू होने से पहले अपेक्षित लाइसेंस और लागू होने वाली अन्य मंजूरी प्राप्त करेंगे। वे राज्य और/या केंद्र सरकार के राजस्व विभाग, जैसा भी मामला हो, के प्रासंगिक प्रावधानों के अनुसार खरीदी/बेची गई वस्तुओं या प्रदान की गई सेवाओं का उचित रिकॉर्ड रखेंगे।

बैठक अध्यक्ष को धन्यवाद ज्ञापन के साथ समाप्त हुई।

सुरेंद्र मलिक

(सुरेंद्र मलिक)

संयुक्त विकास आयुक्त

उमेधिन मेनन

(ए बिपिन मेनन)

विकास आयुक्त